

हैदराबाद में 200 करोड़ रूपए के फूड पार्क, सीड एवं फूड प्रोसेसिंग के एमओयू

मुख्यमंत्री भजनलाल ने हैदराबाद में ग्राम-2026 के तहत इन्वेस्टर्स मीट को संबोधित किया

हैदराबाद/जयपुर, 8 मई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान पारंपरिक खेती से आगे बढ़कर एग्रीटेक एवं फूड प्रोसेसिंग के सुनहरे अवसरों की भूमि बन चुका है। कृषि पैदावार में विविधता के कारण राजस्थान में प्रसंस्करण उद्योग, कोल्ड चेन, स्पाइस पार्क एवं कृषि आधारित उद्योगों में निवेश की अपार संभावनाएं हैं। इसी दिशा में राज्य सरकार प्रदेश को कृषि आधारित उद्योगों और वैल्यू एडेड

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार राजस्थान प्रदेश को कृषि आधारित उद्योगों और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स का वैश्विक केन्द्र बनाने की दिशा में प्रयासरत है।



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को हैदराबाद में ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट-2026 के तहत आयोजित इन्वेस्टर्स मीट को संबोधित किया।

प्रोडक्ट्स का वैश्विक केन्द्र बनाने की दिशा में कार्य कर रही है।

मुख्यमंत्री शुक्रवार को हैदराबाद में ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट-2026 के तहत आयोजित इन्वेस्टर्स मीट को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने 'पधारो महारो देस' का आ न करतें हुए, निवेशकों, एग्री-टेक स्टार्टअप और विशेषज्ञों को राजस्थान में निवेश के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि

हैदराबाद आज देश का प्रमुख आईटी और एग्री इनोवेशन हब बन चुका है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद का लैब टू लैंड मॉडल राजस्थान के लिए प्रेरणादायी है और राज्य सरकार इसे और अधिक मजबूती से लागू करना चाहती है।

इन्वेस्टर्स मीट में राजस्थान के विभिन्न स्थानों पर फूड पार्क, सीड प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग के विकास के लिए 200 करोड़ रुपये से अधिक के

विभिन्न एमओयू का आदान प्रदान किया गया। कार्यक्रम में वन-टू-वन बिजनेस मीटिंग्स एवं निवेशकों, उद्योग जगत और एग्रीटेक विशेषज्ञों के साथ संवाद किया गया।

इस अवसर पर पशुपालन एवं डेयरी मंत्री जोरामन कुमावत, सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम कुमार दक, अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग एवं वाणिज्य शिक्षर

अग्रवाल, प्रमुख शासन सचिव कृषि एवं उद्यानिकी मंजू राजपाल, आईसीआरआईएएपीटी के महानिदेशक डॉ. हिमांशु पाठक, फिक्की नेशनल एग्रीकल्चर कमेटी के सह-अध्यक्ष सुब्रतो गौस सहित, कृषि विभाग, राजस्थान फाउंडेशन के हैदराबाद चैप्टर के प्रतिनिधि तथा बड़ी संख्या में स्टार्टअप उद्यमी एवं निवेशक उपस्थित थे।

रेजिडेंसियल स्कूल में निर्माण के लिये 800 साल पुराना मंदिर तोड़ा

हैदराबाद, 08 मई। तेलंगाना के वारंगल जिले में एक यंग इंडिया इंटीग्रेटेड रेजिडेंसियल स्कूल के निर्माण के लिए 800 साल पुराने काकतीय कालीन शिव मंदिर को बुलडोजर से ढहा दिया गया, जिससे आक्रोश और कानूनी कार्रवाई शुरू हो गई है। खानपुर मंडल में मामला दर्ज कर लिया है।

वकील इम्तियाज रामा राव ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि काकतीय शासक गणपति देव

राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण में शिकायत के बाद संस्कृति मंत्रालय व पुरातत्व विभाग ने मामला दर्ज किया।

(1199-1262 ईस्वी) के शासनकाल के इस शिव मंदिर को खानपुर मंडल में यंग इंडिया इंटीग्रेटेड रेजिडेंसियल स्कूल के निर्माण के लिए भारी मशीनों से नष्ट कर दिया गया। शिकायत में कहा गया कि अधिकारियों ने तेलंगाना हेरिटेज एक्ट के तहत

निर्वाय विरासत संरक्षण समिति का गठन नहीं किया। कार्यकर्ताओं का तर्क है कि मंदिर को ध्वस्त करने के बजाय उसे किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित किया जा सकता था।

रिपोर्टों के अनुसार मंदिर के गर्भगृह को खोदा गया था, जिससे यह संदेह पैदा हो गया है कि ठेकेदार ने नीचे दबे कथित खजाने की तलाश में इसे नष्ट किया होगा। हालांकि जिला प्रशासन ने इन आरोपों का खंडन किया। वारंगल जिला कलेक्टर कार्यालय के अनुसार छह मई को किए गए संयुक्त निरीक्षण में पाया गया कि जमीन पर भारी झड़ियाँ और पेड़ उगे हुए थे।

बिहार में बिजली गिरने से 7 की मौत

पटना, 08 मई। बिहार के विभिन्न जिलों में शुक्रवार देर शाम आये आंधी-तूफान और आकाशीय बिजली गिरने से सात लोगों की मौत हो गई।

राज्य में आकाशीय बिजली गिरने से भोजपुर में 01, पटना में 01, समस्तीपुर में 01 और पूर्वी चंपारण में 01 तथा आंधी-तूफान/तेज वर्षा से पेड़ गिरने के कारण दबकर पटना में 02 एवं वैशाली में 01 व्यक्ति की मृत्यु पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है।

'अनिल अंबानी की कंपनियों के बैंकिंग फ्राँड की गहन जांच हो'

सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की

नई दिल्ली, 08 मई। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि अनिल धीरूभाई अंबानी समूह (एडीआई) और उसकी कंपनियों से जुड़े कथित बड़े पैमाने पर बैंकिंग धोखाधड़ी के मामले में एक गहन जांच की जरूरत है। यह मामला तब सामने आया, जब केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने बताया कि सात मामलों में अनुमानित कुल नुकसान लगभग 27,337 करोड़ रुपये है।

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सर्जकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ, पूर्व नौकरशाह ई.ए.एस. शर्मा द्वारा दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई कर रही थी। इस याचिका में अनिल अंबानी के नेतृत्व वाली एडीआई फर्मों द्वारा 40,000 करोड़ रुपये से अधिक के कथित ऋण धोखाधड़ी में अदालत की निगरानी वाली जांच की मांग की गई थी।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनिल अंबानी की कंपनियों से जुड़े कथित बड़े पैमाने पर बैंकिंग धोखाधड़ी के मामले में एक गहन जांच की जरूरत है। यह मामला तब सामने आया, जब केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने बताया कि सात मामलों में अनुमानित कुल नुकसान लगभग 27,337 करोड़ रुपये है।

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सर्जकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ, पूर्व नौकरशाह ई.ए.एस. शर्मा द्वारा दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई कर रही थी। इस याचिका में अनिल अंबानी के नेतृत्व वाली एडीआई फर्मों द्वारा 40,000 करोड़ रुपये से अधिक के कथित ऋण धोखाधड़ी में अदालत की निगरानी वाली जांच की मांग की गई थी।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनिल अंबानी की कंपनियों से जुड़े कथित बड़े पैमाने पर बैंकिंग धोखाधड़ी के मामले में एक गहन जांच की जरूरत है। यह मामला तब सामने आया, जब केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने बताया कि सात मामलों में अनुमानित कुल नुकसान लगभग 27,337 करोड़ रुपये है।

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सर्जकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ, पूर्व नौकरशाह ई.ए.एस. शर्मा द्वारा दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई कर रही थी। इस याचिका में अनिल अंबानी के नेतृत्व वाली एडीआई फर्मों द्वारा 40,000 करोड़ रुपये से अधिक के कथित ऋण धोखाधड़ी में अदालत की निगरानी वाली जांच की मांग की गई थी।

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सर्जकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ, पूर्व नौकरशाह ई.ए.एस. शर्मा द्वारा दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई कर रही थी। इस याचिका में अनिल अंबानी के नेतृत्व वाली एडीआई फर्मों द्वारा 40,000 करोड़ रुपये से अधिक के कथित ऋण धोखाधड़ी में अदालत की निगरानी वाली जांच की मांग की गई थी।

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सर्जकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ, पूर्व नौकरशाह ई.ए.एस. शर्मा द्वारा दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई कर रही थी। इस याचिका में अनिल अंबानी के नेतृत्व वाली एडीआई फर्मों द्वारा 40,000 करोड़ रुपये से अधिक के कथित ऋण धोखाधड़ी में अदालत की निगरानी वाली जांच की मांग की गई थी।

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सर्जकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ, पूर्व नौकरशाह ई.ए.एस. शर्मा द्वारा दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई कर रही थी। इस याचिका में अनिल अंबानी के नेतृत्व वाली एडीआई फर्मों द्वारा 40,000 करोड़ रुपये से अधिक के कथित ऋण धोखाधड़ी में अदालत की निगरानी वाली जांच की मांग की गई थी।

बाइक हाइवे पर खड़े ट्रक में घुसी, पति-पत्नी व तीन बच्चों की मौत

बुलंदशहर, 08 मई। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में शुक्रवार को एनएच-34 पर हुए एक हादसे में ट्रक से टकरा कर बाइक सवार माता-पिता और तीन बच्चों व सहित, कुल पांच लोगों की मौत हो गयी। हादसे की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस टीम पहुंची और शोरों की कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। हादसे का शिकार हुआ परिवार वैष्णो देवी धाम के दर्शन कर लौटा था और रिश्तेदार के घर रुकने के बाद आज अपने गांव लौट रहा था।

जानकारी के अनुसार, बुलंदशहर में खुर्जा की तरफ से उत्तम सिंह बाइक से पत्नी और तीन बच्चों के साथ बुलंदशहर नगर के धमेड़ा अड्डा की तरफ अपने घर आ रहे थे। देहात कोतावाली में एनएच-34 पर भंसौली कट के पास बाइक सड़क के किनारे खड़े ट्रक से टकरा गई। ट्रककर इतनी जोरदार थी कि मौके पर ही पांचों की मौत हो गई। मृतकों में उत्तम, उनकी पत्नी उर्मिला, बेटा निशांत, बेटे दिशा और मासूम अनायास शामिल हैं। दुर्घटना के बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई और तुरंत पुलिस को सूचना दी गई।

आरपीएससी ने एसआई भर्ती परीक्षा 2021 रद्द की

सितंबर 2026 में नई परीक्षा होगी, जिसमें केवल वे शामिल होंगे जिन्होंने पिछली परीक्षा दी थी

अजमेर, 8 मई (कासं)। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने राज्य सरकार के कड़े रुख और सिफारिश के बाद एक बड़ा फैसला लिया है। लंबे समय से विवादों और घांघली के आरोपों से घिरी सब-इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा-2021 को आयोग ने आधिकारिक तौर पर रद्द कर दिया है। प्रदेश के लाखों युवाओं की मांग को ध्यान में रखते हुए अब यह परीक्षा पूरी पारदर्शिता के साथ नए सिरे से आयोजित की जाएगी।

आयोग के अनुसार, नई परीक्षा के सितंबर 2026 में आयोजित होने की प्रबल संभावना है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि इस बार कोई नए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इस री-एजाम में केवल 3 लाख 83 हजार 097 अभ्यर्थी ही बैठ सकेंगे। यह मौका सिर्फ उन युवाओं को मिलेगा, जो 13 से 15 सितंबर 2021 के बीच आयोजित हुई लिखित परीक्षा के दोनों प्रश्न पत्रों में भौतिक रूप से उपस्थित

राजस्थान लोक सेवा आयोग 16 मई से पोर्टल पर आवेदन संशोधन की प्रक्रिया शुरू करेगा।

हुए थे। यदि किसी अभ्यर्थी ने 2021 में फॉर्म भरा था लेकिन परीक्षा नहीं दी थी, या सिर्फ एक ही पेपर दिया था, तो उसे अब इस नई परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं मिलेगी। चूंकि परीक्षा लगभग 5 साल के अंतराल के बाद दोबारा हो रही है, इसलिए आयोग ने अभ्यर्थियों को अपने आवेदन पत्रों में आवश्यक सुधार करने का अवसर दिया है।

आगामी 16 मई से पोर्टल पर आवेदन संशोधन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अभ्यर्थी अपने दस्तावेजों, पते या अन्य आवश्यक विवरणों में इस दौरान सुधार कर सकेंगे। आयोग ने सभी पात्र अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे समय सीमा के भीतर अपने फॉर्म अपडेट कर लें, ताकि बाद

में एडमिट कार्ड जारी करने या चयन प्रक्रिया में कोई तकनीकी अड़चन न आए।

गौरतलब है कि एसआई भर्ती 2021 परीक्षा के आयोजन के बाद से ही इसके पेपर लीक होने व इसमें और डमी कैंडिडेट बिटाने जैसे गंभीर आरोप लगते रहे थे। मामला राज्य सरकार और पुलिस के संज्ञान में आने के बाद कई गिरफ्तारियां भी हुई थीं।

ज्ञातव्य है कि एक लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी एसआई भर्ती परीक्षा रद्द करने का फैसला दिया था। उसी के तहत राज्य सरकार ने राज्य लोकसेवा आयोग से एसआई भर्ती परीक्षा-2021 रद्द करने की सिफारिश की। इसके बाद आयोग ने परीक्षा रद्द करने की घोषणा की है।

नासिक टीसीएस धर्मान्तरण मामले की मुख्य आरोपी निदा खान गिरफ्तार

कोर्ट ने निदा खान को 4 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा

नासिक, 08 मई। महाराष्ट्र के नासिक के बहुचर्चित टीसीएस धर्मान्तरण मामले में मुख्य संदिग्ध आरोपी निदा खान को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पिछले एक महीने से पुलिस को चकमा दे रही निदा खान को नासिक और छत्रपति संभाजीनगर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में छत्रपति संभाजीनगर से गिरफ्तार किया गया। शुक्रवार को उसे नासिक रोड न्यायालय में पेश किया गया, जहां अदालत ने उसे चार दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया।

अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद, निदा खान फरार हो गई थी। विशेष जांच दल (एसआईटी) को सूचना मिली थी कि वह छत्रपति संभाजीनगर के नारेगांव इलाके में छिपी हुई है। इसके बाद नासिक पुलिस

पता चला है कि छत्रपति संभाजीनगर के नगर सेवक मतीन माजिद पटेल ने निदा खान को शरण दे रखी थी, पटेल को भी आरोपी बनाया गया है।

आयुक्त संदीप कर्णिक ने छत्रपति संभाजीनगर के पुलिस आयुक्त प्रवीण पवार से संपर्क कर संयुक्त अभियान शुरू किया।

जांच में सामने आया कि स्थानीय नगरसेवक मतीन माजिद पटेल ने निदा खान को शरण दी थी। सादे कपड़ों में 20 से अधिक पुलिसकर्मी दो दिनों से इलाके पर नजर बनाए हुए थे। अंततः बिना नंबर वाले वाहनों की मदद से बृहद गोपनीय तरीके से निदा खान को हिरासत में लिया गया।

फरारी के दौरान निदा खान ने नासिक, भिवंडी, मुंबा और छत्रपति

संभाजीनगर सहित कई स्थानों की यात्रा की। पुलिस के अनुसार, उसने तकनीकी निगरानी से बचने की कोशिश की, लेकिन डिजिटल ट्रैकिंग के जरिए पुलिस उसके करीब पहुंच गई।

जांच एजेंसियों को उसके मोबाइल फोन से अहम डिजिटल सबूत मिलने की संभावना है। बताया जा रहा है कि मोबाइल में पीडिया को धर्मान्तरण के लिए उकसाने वाले कथित वीडियो और संदेश मौजूद हैं। डेटा रिकवरी होने के बाद कई चौकाने वाले खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है।

मामले की गंभीरता को देखते हुए

नासिक रोड अदालत में सुनवाई 'इन कैमरा' तरीके से की गई। अदालत परिसर के बाहर भारी पुलिस बंदोबस्त तैनात किया गया था।

सरकारी पक्ष की ओर से विशेष सरकारी वकील अजय मिसर ने पुलिस हिरासत की मांग की, जबकि बचाव पक्ष के वकील राहुल कासलीवाल और बाबा सैयद ने निदा खान के गर्भवती होने का हवाला देते हुए जमानत की मांग की। हालांकि अदालत ने यह दलील खारिज करते हुए पुलिस हिरासत मंजूर कर ली। मुख्य आरोपी निदा खान को शरण देने वाले नगरसेवक मतीन पटेल को भी इस मामले में आरोपी बनाया गया है। पुलिस आयुक्त संदीप कर्णिक ने कहा, जांच में बाधा डालने या आरोपियों की मदद करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।

अजीबो-गरीब तर्क ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) विपक्ष के नेता वी.डी. सतीशन के प्रति भारी और व्यापक समर्थन है, जिन्होंने पिछले पांच सालों में लेफ्ट फ्रंट सरकार के खिलाफ संघर्ष का लगातार नेतृत्व किया।

एक वरिष्ठ नेता ने कहा, "सतीशन के लिए पूर्ण समर्थन है, और अगर नेतृत्व के.सी. वेणुगोपाल को मुख्यमंत्री बनाता है, तो इतनी बड़ी फूट और मजबूत मतभेदों के बीच वे पार्टी, सरकार और राज्य नहीं चला पाएंगे।"

सभी प्रमुख हितधारकों, जिनमें वी.डी. सतीशन, रमेश चेन्नीथला, वेणुगोपाल और अन्य शामिल हैं, को दिल्ली बुलाया गया है और कल एक बैठक आयोजित की जाएगी, ताकि इस मुद्दे पर चर्चा हो और पूरी प्रक्रिया में समझदारी लाई जा सके।

वेणुगोपाल ने मुख्यमंत्री बनने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी है।

अरुणाचल प्रदेश में भूकंप

इटानगर, 08 मई। अरुणाचल प्रदेश के पापुम पारे जिले में शुक्रवार को दोपहर बाद मध्यम तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किये गये। भूकंप के चलते कहीं से किसी भी तरह के नुकसान की खबर नहीं है। भारतीय सिस्मोलॉजी केन्द्र के अनुसार, अरुणाचल में 04 बजकर 05 मिनट 52 सेकंड पर भूकंप का झटका महसूस किया गया। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.6 मापी गई।

भूकंप का केन्द्र पापुम पारे जिला में जमीन के अंदर 05 किलोमीटर नीचे स्थित था। 04 बजकर का पीक टाइम 27.390 उत्तरी अक्षांश तथा 93.853 पूर्वी देशांतर पर स्थित था।

भूकंप का केन्द्र पापुम पारे जिला में जमीन के अंदर 05 किलोमीटर नीचे स्थित था। 04 बजकर का पीक टाइम 27.390 उत्तरी अक्षांश तथा 93.853 पूर्वी देशांतर पर स्थित था।

अरुणाचल प्रदेश में भूकंप

इटानगर, 08 मई। अरुणाचल प्रदेश के पापुम पारे जिले में शुक्रवार को दोपहर बाद मध्यम तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किये गये। भूकंप के चलते कहीं से किसी भी तरह के नुकसान की खबर नहीं है। भारतीय सिस्मोलॉजी केन्द्र के अनुसार, अरुणाचल में 04 बजकर 05 मिनट 52 सेकंड पर भूकंप का झटका महसूस किया गया। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.6 मापी गई।

भूकंप का केन्द्र पापुम पारे जिला में जमीन के अंदर 05 किलोमीटर नीचे स्थित था। 04 बजकर का पीक टाइम 27.390 उत्तरी अक्षांश तथा 93.853 पूर्वी देशांतर पर स्थित था।

भूकंप का केन्द्र पापुम पारे जिला में जमीन के अंदर 05 किलोमीटर नीचे स्थित था। 04 बजकर का पीक टाइम 27.390 उत्तरी अक्षांश तथा 93.853 पूर्वी देशांतर पर स्थित था।

भूकंप का केन्द्र पापुम पारे जिला में जमीन के अंदर 05 किलोमीटर नीचे स्थित था। 04 बजकर का पीक टाइम 27.390 उत्तरी अक्षांश तथा 93.853 पूर्वी देशांतर पर स्थित था।

भूकंप का केन्द्र पापुम पारे जिला में जमीन के अंदर 05 किलोमीटर नीचे स्थित था। 04 बजकर का पीक टाइम 27.390 उत्तरी अक्षांश तथा 93.853 पूर्वी देशांतर पर स्थित था।

'हमारे 300 से अधिक कार्यकर्ता ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) लिए आयोग स्थापित करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

ममता बनर्जी की पिछली सरकार के कुछ कार्यों की जांच के लिए भी एक आयोग स्थापित किया जा रहा है।

पूरी तरह से जांच शुरू हो गई है और शुभेन्द्र अधिकारी के व्यक्तिगत सहायक के हत्यारों की तलाश शुरू हो गई है, जिनकी हत्या एक दिन पहले राजनीतिक कारणों से की गई थी।

नए मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल सहयोगियों द्वारा कल कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और कम से कम बीस भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की उपस्थिति में शपथ ली जाएगी।

दुर्भाग्यवश, अपनी असमर्थता जारी रखते हुए, पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस समारोह में भाग नहीं लेंगी। इससे पहले सभी सेवानिवृत्त मुख्यमंत्री अगले मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होते रहेंगे।

वैसे, अपने सोशल मीडिया हैंडल पर, ममता बनर्जी "पूर्व" शब्द जोड़ने के बजाय अब भी खुद को पश्चिम बंगाल

की मुख्यमंत्री के रूप में प्रस्तुत कर रही हैं।

शुभेन्द्र को मुख्यमंत्री के रूप में घोषित करने की घोषणा केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज शाम कोलकाता में की, जब नव निर्वाचित विधायकों का एक सम्मेलन संपन्न हुआ। भाजपा संसदीय बोर्ड ने अमित शाह को विधायकों की बैठकों की अध्यक्षता करने और नेता व मुख्यमंत्री चुनने का कार्य सौंपा था।

गृह मंत्री ने सदन के नेता और मुख्यमंत्री के लिए प्रस्तावित नाम आमंत्रित किया था, जिस पर नव निर्वाचित विधायकों ने एकमत होकर शुभेन्द्र अधिकारी का नाम जोर से पुकारा। जब अमित शाह ने मुख्यमंत्री पद के नाम की घोषणा की, तब विधायकों ने कोई अन्य वैकल्पिक नाम नहीं दिया।

लेकिन शुभेन्द्र को इस शानदार जीत पर एक दुख की छाया भी थी, क्योंकि उनके युवा कार्यकारी सहायक, जो भारतीय वायुसेना के पूर्व कर्मचारी थे, की एक दिन पहले राजनीतिक हत्या कर दी गई थी। भावुक अधिकारी ने सार्वजनिक रूप से शोक व्यक्त किया

कि उनके पी.ए. को भवानीपुर निर्वाचन क्षेत्र (ममता बनर्जी के गढ़) में उनकी जीत का मूल्य चुकाना पड़े।

मौजूदा हालात में कोई और विकल्प अकल्पनीय होता। अधिकारी ने 2021 से लगातार सत्ता में रही एमपूल कांग्रेस के खिलाफ लंबी और कठिन लड़ाई लड़ी थी।

इस मोड़ पर शुभेन्द्र को छोड़कर किसी अन्य उम्मीदवार को चुनने से पार्टी कार्यकर्ताओं में भारी असंतोष और निराशा पैदा होती, जो बंगाल में पार्टी के पहले कदम को ही बाधित कर सकता था। पार्टी कार्यकर्ताओं को सत्ताधारी दल द्वारा लगातार और बेहम भूमि के से प्रताड़ित किया गया। भाजपा का दावा है कि पार्टी के कम से कम 300 ग्राउंड-लेवल कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया गया और मारा गया, जबकि अन्य को प्रताड़ना और हत्या से बचने के लिए अपने घर छोड़ने पड़े।

शुभेन्द्र ने ही पार्टी के कार्यकर्ताओं को एकजुट रखा और जहां भी पार्टी संकट में थी, वे स्वयं वहाँ पहुंचे। शुभेन्द्र स्वयं हमेशा खतरे में रहे।

पार्टी अब नई शुरूआत और राज्य के लोगों की उम्मीदों की दहलीज पर है।

(प्रथम पृष्ठ का शेष) करने की सहमति दी।

शुक्रवार को चेन्नई में बातचीत हुई, जब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने व्यक्तिगत रूप से बीजेपी प्रमुख थोला थिरुमावलवन से बात कर टीवीके नेतृत्व वाले गठबंधन के समर्थन को सुनिश्चित किया।

इसके तुरंत बाद, सीपीआई कार्य समिति और सीपीएम की राज्य नेतृत्व टीम ने भी विजय का समर्थन किया, जिससे अगले सरकार बनाने को लेकर अनिश्चितता समाप्त होने की संभावना बढ़ गई।

राज्यपाल और विजय ने बुधवार और गुरुवार को भी मुलाकात की थी। दोनों बार अरलेकर ने विजय के सरकार बनाने के दावे को खारिज कर दिया, यह तर्क देते हुए कि टीवीके नेता के पास विधानसभा में आवश्यक समर्थन नहीं है।

लोक भवन ने बाद में एक बयान जारी कर कहा कि "सरकार बनाने के लिए आवश्यक बहुमत का समर्थन" स्थापित नहीं हुआ है। इस निर्णय के बाद टीवीके कार्यकर्ताओं ने राज भवन के बाहर

विरोध प्रदर्शन किया, जबकि कांग्रेस ने राज्यभर में राज्यपाल और केन्द्र की भाजपा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन की घोषणा की।

गुरुवार को अरलेकर के निर्णय के जवाब में, कांग्रेस नेता गिरिश चौधणकर ने कहा कि राज्यपाल को सबसे बड़ी पार्टी में संकोच करवाने के लिए आमंत्रित करना ही चाहिए। उन्होंने मीडिया से कहा कि बहुमत का परीक्षण केवल विधानसभा के पटल पर किया जा सकता है।

उन्होंने भाजपा एवं आरएसएस पर अत्यल्प प्रभाव डालने का प्रयास करने का भी आरोप लगाया, जबकि भाजपा के पास विधानसभा में केवल एक विधायक है।

तिमिलनाडु कांग्रेस के अध्यक्ष के. सेल्वपेरुंथयर्ग ने 8 मई को सभी जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन की अपील की, आरोप लगाते हुए कि राज्यपाल संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं और टीवीके को सरकार बनाने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं।

बाद में, विजय ने सीपीआई राज्य मुख्यालय का दौरा कर नेताओं को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद दिया।

(प्रथम पृष्ठ का शेष) स्कूल जाते समय मुख्यमंत्री से एक बार फिर मिलीं और अपनी मांग दोहराईं, तो मुख्यमंत्री ने मुस्कराते हुए बताया कि जाजोद के स्कूल में विज्ञान संकाय शुरू हो चुका है। राज्य सरकार की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं। अब इस विद्यालय में आप गणित एवं जीव विज्ञान दोनों में से अपनी रचि अनुसार विषय चुनकर इसी साल से पढ़ाई कर सकती हैं। मुख्यमंत्री के मुंह से खुशखबरी सुनकर बच्चियों के चेहरे खिल उठे। उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल का आभार व्यक्त किया। उनका कहना था कि उन्हें नई सीढ़ियां मिलीं हो पा रहा कि उनकी मांग इतनी जल्दी पूरी होगी।

(प्रथम पृष्ठ का शेष) स्कूल जाते समय मुख्यमंत्री से एक बार फिर मिलीं और अपनी मांग दोहराईं, तो मुख्यमंत्री ने मुस्कराते हुए बताया कि जाजोद के स्कूल में विज्ञान संकाय शुरू हो चुका है। राज्य सरकार की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं। अब इस विद्यालय में आप गणित एवं जीव विज्ञान दोनों में से अपनी रचि अनुसार विषय चुनकर इसी साल से पढ़ाई कर सकती हैं। मुख्यमंत्री के मुंह से खुशखबरी सुनकर बच्चियों के चेहरे खिल उठे। उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल का आभार व्यक्त किया। उनका कहना था कि उन्हें नई सीढ़ियां मिलीं हो पा रहा कि उनकी मांग इतनी जल्दी पूरी होगी।

(प्रथम पृष्ठ का शेष) स्कूल जाते समय मुख्यमंत्री से एक बार फिर मिलीं और अपनी मांग दोहराईं, तो मुख्यमंत्री ने मुस्कराते हुए बताया कि जाजोद के स्कूल में विज्ञान संकाय शुरू हो चुका है। राज्य सरकार की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं। अब इस विद्यालय में आप गणित एवं जीव विज्ञान दोनों में से अपनी रचि अनुसार विषय चुनकर इसी साल से पढ़ाई कर सकती हैं। मुख्यमंत्री के मुंह से खुशखबरी सुनकर बच्चियों के चेहरे खिल उठे। उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल का आभार व्यक्त किया। उनका कहना था कि उन्हें नई सीढ़ियां मिलीं हो पा रहा कि उनकी मांग इतनी जल्दी पूरी होगी।

(प्रथम पृष्ठ का शेष) स्कूल जाते समय मुख्यमंत्री से एक बार फिर मिलीं और अपनी मांग दोहराईं, तो मुख्यमंत्री ने मुस्कराते हुए बताया कि जाजोद के स्कूल में वि